प्रपत्र 2 क

(नियम 4 देखिए)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

नामनिर्देशन–पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए .....संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम .....पिता/भाता/पति का नाम .....उसका डाक पता .....

..... उसका नाम .....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट

विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं..... में क्रम सं. .....पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम ..... है जो ..... संसदीय

निर्वाचन–क्षेत्र (में समाविष्ट ..... विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं..... में क्रम

सं. .....पर प्रविष्ट है।

दिनांक .....

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग–2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए रायगढ़ (छत्तीसगढ़) संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से

श्री अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन करते है।

अभ्यर्थी का नाम बजरंग सिदार

पिता/भ्राता/पति का नाम प्रताप सिंह सिदार

उसका डाक पता ग्राम झालपुर पो० नवरंगपुर तह० व जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

उसका नाम संसदीय क्षेत्र रायगढ़ (कि. लभा सं. 72) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र*(में समाविष्ट विधान सभा

निर्वाचन–क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 204 में क्रम संख्यांक 1 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते है कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में

उक्त के नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नाम निर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते है।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

क्र. सं.	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		उस भाग में क्रम सं.	परा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	विधान सभा निर्वाचक क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक				
1	2	3	4	5	6	7
1.	खरसिया	203	135	रामदास महंत पि- अनन्दी महंत	रामदास	05/4/14
2.	खरसिया	204	50	योगेन्द्र कुमार चौहान पि- सुखीराम चौहान	योगेन्द्र	〃
3.	खरसिया	202	784	घनश्याम सिदार पि- रामधन सिदार	घनश्याम	〃
4.	खरसिया	204	258	रविशंकर सिदार पि- भीमशंकर सिदार	रविशंकर	〃
5.	खरसिया	204	149	हरदराम सिदार स्व. कंठीराम सिदार	Hsidar	〃
6.	खरसिया	204	146	दुष्यंत सिंह सिदार पि- घुराऊराम सिदार	दुष्यंत सिदार	〃
7.	खरसिया	204	180	विवेक पटेल पि- होलकुमार पटेल	Vivek	〃
8.	खरसिया	204	295	नानबुटी यादव पि- सेलुराम यादव	नानबुटी	〃
9.	खरसिया	204	420	विद्याधर सिदार पि- भिखारी सिदार	विद्याधर	〃
10.	खरसिया	204	293	समारू विश्वकर्मा पि- प्रेमसिंह विश्वकर्मा	समारू	〃

कृपया ध्यान दें :– प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

अधिसूचना सं. का.आ 558 (अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 2क से 2ग के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग– 3

मैं भाग1 / भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि –

(क) मैंने 41 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

[नीचे ख (i) या ख (ii), जो लागू न हो उसे काट दें]।

(ख) (i) ~~मुझे इस निर्वाचन में~~ X ~~दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल / राज्य-दल है और उपयोग्य दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए~~।

या

(ख) (ii) ~~मुझे इस निर्वाचन में~~ X ~~दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है~~। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे अधिमान क्रम में

(i) ऑलेक ब्रोई (10) (ii) हारमोनियम (47) (iii) आयलिन (84) है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता / माता / पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** ~~जाति~~ / जनजाति का सदस्य हूँ जो छत्तीसगढ़ राज्य के उस राज्य में के रायगढ़ (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित *** ~~जाति~~ / जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन / उप निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में **** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 05.04.14

अजय RTAC
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*जम्मू–कश्मीर, अंदमान और निकोबार, द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

**** जम्मू–कश्मीर, अंदमान और निकोबार, द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :– "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

[1] भाग– 3 क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

उस अभ्यर्थी को –

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है, या

हाँ / नहीं

[1] अधिसूचना सं. का.आ 935 (अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंत:स्थापित।

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है। नहीं

यदि उत्तर "हाँ" में है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट सख्यांक ..... ×

(ii) पुलिस थाना (थाने) ..... × ..... जिला (जिले) ..... × ..... राज्य ..... ×

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये उसे सिद्धदोष ठहराया गया था। ..... ×

(iv) दोष सिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) ..... ×

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ..... ×

(vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की अवधि और / या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें।

..... ×

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ..... ×

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ / नहीं ✓

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ : ..... ×

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे : ×

.....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित है ; ..... ×

(xi) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो –

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ..... ×

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) ..... ×

स्थान : रायगढ़

तारीख : 05.04.14

बजरंग सिंदाल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग– 4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम सं. 21

यह नामनिर्देशन मुझे / मेरे कार्यालय में 5/4/14 (तारीख) को 1.15 p.m. (बजे) * अभ्यर्थी / प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 5/4/14.

रिटर्निंग ऑफिसर

नरेश कुमार बंसल

असि. कलेक्टर

02-रायगढ़ (अ.ज.जा.)

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र



शपथ पत्र

"प्रारूप 26"

मुकुल झा (नियो
नोटरी
जिला - रायगढ़

CANCELLED

रायगढ़

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

क्षेत्र से लोकसभा (सदन का नाम) के लिए

निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र.

भाग-क

मैं बाजरंग सिदार **पुत्र / पुत्री / पत्नी प्रताप सिंह सिदार
आयु 41 वर्ष, जो ग्राम सातपुर पो. स्वतंत्रपुर तह. व जि. रायगढ़ छ.ग. (डाक का पूरा पता लिखें) का / की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं / करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं / करती हूं :-

(1) मैं स्वतंत्र अभ्यर्थी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं.
(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम रायगढ़, छत्तीसगढ़ (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 204 के क्रम सं. 72 पर प्रविष्ट है.

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9303468991 है / है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) नहीं है है.

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है.	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं		आय नहीं	
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित - 1			
4.	आश्रित-2			
5.	आश्रित-3			

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किये गये हैं.

यदि अभियुक्त ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखत जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(6) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं.

(क) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे.	नहीं

बाजरंग सिदार

(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है.	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख.	नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.	नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं.	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख.	नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है.	नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे.	नहीं

(6) मुझे किसी अपराध किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है / नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है.	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी / है. यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति.	नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों - (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं :-

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है.

टिप्पण 2 - जमा / विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं.

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए.

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 (क) के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है.

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं.

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	70,000/-	5000/-	-		
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसायटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम.	ग्रामीण बैंक कुलभुरा में 4700/- रु. लगभग जमा है।	ग्रामीण बैंक कंदेली में 500/- रु. जमा है।			
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम.	नहीं	नहीं			
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम.	नहीं	नहीं			
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम.	नहीं	नहीं			
(vi)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	टी.वी.एस. सुपर XL दोपहिया वाहन वर्ष 2007, 10,000/-	नहीं			

अजीत सिंह

(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	नहीं	2 तोला सोना 60,000/- 20 तोला चाँदी 8000/-		लागू नहीं	
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य.	नहीं	नहीं			
(ix)	समग्र कुल मूल्य	84700/-	73500/-			

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है.

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया दर्शन किया जाना चाहिए.

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(क)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	ग्रामीणहद में 0.69 है. कृषि भूमि पर 1/5 भाग	नहीं			
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1.20 एकड़ का 1/5 भाग	नहीं			
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	नहीं			
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं			
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं			
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं			
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	240,000/- का 1/5 भाग	निरंक			
(ख)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	नहीं	नहीं			
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं			
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं			
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं			
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं			

	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान.					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान.					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					

(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)		लागू नहीं		लागू नहीं	
(vi)	पूर्वोक्त (i) में (v) का कुल चालू बाजार मूल्य					

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	सेवा सहकारी समिति लि. भागलपुर लोन खाता हेतु 12000/- फाइनल	नहीं		लागू नहीं	
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं			
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं			
	दायित्वों का कुल योग	12000/-	निरंक			
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	नहीं	नहीं			
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं			
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं			
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं			
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं			
	आय - कर शोध्य	नहीं	नहीं			
	धनकर शोध्य	नहीं	नहीं			
	सेवाकर शोध्य	नहीं	नहीं			

	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य					
	विक्रयकर शोध्य					
	अन्य कोई शोध्य		लागू नहीं		लागू नहीं	
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग					
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें.					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं ..... कृषि .....

(ख) पति या पत्नी ..... राहति / कृषि मजदूरी .....

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

12th पास 1993 शा.उ.मा.शाला भंडेली जिला रायगढ़ से ..... मा

(प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग - ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कु.
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम-भासपुर पोस्ट नवरंगपुर
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	02, रायगढ़, छत्तीसगढ़
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अथवा "स्वतंत्र लिखें")	स्वतंत्र
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं.	निरंक
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऐसे ऊपर मद (i) उल्लेखित मामलों से भिन्न]	निरंक
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है. [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	निरंक

मुकुल झा
पंजीयन क्रमांक
C.G.6/10/ रायगढ़
9/07/13

7.		.... का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी		लागू नहीं	
	(ख) पति या पत्नी			
	(ग) आश्रित			

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में)

	विवरण		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(क)	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)		84700/-	735000/-	नहीं	नहीं	नहीं
(ख)		स्थावार आस्तियां	शामिलात 240000/- का VS भाग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास / संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
		निम्नलिखित की	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ख.		दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	सेवासहकारी समिति भतपुर ले 12000/-	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

अभ्यर्थी

10.		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	12000/-	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.		उच्चतम शैक्षिक अर्हता: 12th पास 1993, से. उ. मा. शाला भंडेली जि. रायगढ़ से। (प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें.)					

मुकुल झा पंजीयन क्रमांक छ.ग.6/10/रायगढ़/ 9/07/13 छत्तीसगढ़ शासन

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है, मैं यह और घोषणा करता हूं कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है :

(ख मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है.)

आज तारीख 15 APR 2014 को सत्यापित किया गया।

Solemnly Affirmed or sworn before me with in named. मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर सम्बंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन आप कहा और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

MUKUL JHA NOTARY District Raigarh

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए.
टिप्पण : 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि विवरण देने के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित होना चाहिए।
टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए.
टिप्पण : 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटपेटिशन क्रमांक 121 रिर्सन्स इंडिया विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 13/09/2013 के पारित आदेश के परिपालन में चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ -पत्र (Affidavit) में प्रत्येक बिन्दु की जानकारी को भरा जाना आवश्यक किया गया है । शपथ पत्र के प्रत्येक बिन्दु के समक्ष अपेक्षित जानकारी भरी जावे। रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन के समय उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले शपथ-पत्र की जांच कर सुनिश्चित करेंगे की शपथ-पत्र के प्रत्येक कॉलम के विरुद्ध प्रविष्टि की गई है। कोई कॉलम नहीं भरा गया हो तो रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे उम्मीदवारों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लिखित रूप से सूचना देकर निर्धारित कॉलम की जानकारी भरने बाबत् निर्देश देगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी कॉलम विशेष के विरुद्ध प्रविष्टि करने हेतु उम्मीदवार से संबंधित नहीं है तो वैसी स्थिति में उम्मीदवार के द्वारा कॉलम के समक्ष "शून्य" "लागू नहीं" या "उपलब्ध नहीं" लिखा जावेगा। किसी भी परिस्थिति में कोई कॉलम खाली नहीं रहेगा। स्मरण-पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात् भी उम्मीदवार रिक्त कॉलम में उपरोक्तानुसार जानकारी नहीं भरता तो ऐसी परिस्थितियों में उस प्रकार के नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निरस्त करने योग्य होगा।
टिप्पण : 6 पैरा 3 में शपथ-पत्र (Affidavit) के साथ निम्नलिखित जानकारी भी भरें :
"मेरा टेलीफोन नंबर (S) is/are.....
"मेरा ईमेल आईडी (if any) is.....
और मेरा सोशल मिडिया एकाउन्ट (if any) are.....

शपथ अथवा प्रतिज्ञापन का फार्म

[भारत के संविधान का अनुच्छेद 84(क)]

(संसद हेतु निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मैं अजरंग सिदाट जो राज्य सभा अथवा (लोकसभा) में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अक्षेण्ण रखूंगा.

अजरंग सिदाट

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
स्पष्ट अक्षरों में नाम)

अजरंग सिदाट

श्री/श्रीमती अजरंग सिदाट ने आज दिनांक 5/4/2014 मास 200

को उप.त.प्र. (स्थान) पर 1.15 बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया.

राधाट

pm.

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और
नाम, पदनाम और मुहर.)

(अध्याय 6 –13.1)

प्रति,

रिटर्निंग ऑफिसर

..... रायगढ़ ..... लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

महोदय,

मेरे द्वारा ..... रायगढ़ ..... लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। मेरा सही नाम नीचे लिखे अनुसार है :–

बजरंग सिदार

2 – मैं क्षेत्र में निम्न नाम से जाना जाता हूँ अतः मतपत्र में मेरा नाम तदानुसार लिखा जावे

बजरंग सिदार

बज Bajarang Sidar

स्थान :– 05.04.14

दिनांक:– रायगढ़

भवदीय

बजरंग सिदार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी से सम्बंधित अन्य जानकारी

1– अभ्यर्थी का नाम :– बजरंग सिदार

2– लोकसभा क्षेत्र जहॉ से नाम– निर्देशन प्रस्तुत किया गया है :– रायगढ़ (क्षेत्र क्र. 02)

3– आजिविका :– कृषि

4– शैक्षणिक योग्यता :– 12th पास

5– विवाहित अथवा अविवाहित :– विवाहित

6– डाक का पूर्ण पता :– ग्राम भालपुर, पो॰ नवरंगपुर तह॰ व जिला- रायगढ़ (छ॰ ग॰)

7– क्या आप वर्तमान में विधायक/सांसद हैं :– नहीं

8– क्या आप वर्तमान में मंत्रीमण्डल के सदस्य है यदि हां तो प्रभार का विवरण दें :– नहीं

9– क्या आप भूतपूर्व विधायक/सांसद/मंत्री है :– यदि हां तो कब से कब तक नहीं

10– क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं :– नहीं

बजरंग सिदार
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर